चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 22.01.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक दुर्गविजय सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1.नीरज निषाद पुत्र राममिलन निषाद निवासी मैदाना कस्बा मऊ 2.नीरज कुमार पुत्र मूलचन्द्र निवासी भट्ठा कस्बा मऊ 3.संदीप निषाद पुत्र बल्ली निवासी कोल्हुआ मजरा ढंडवार थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त अमित तिवारी उर्फ मोती पुत्र नकुल तिवारी निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 22.01.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 585/16 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्तगण 1.संजय सिंह पुत्र सूरज पाल 2. मुखिया उर्फ मुकेश सिंह पुत्र राजकरन निवासीगण चितरागोकुलपुर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500-1500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.06.2016 को वादी वादी शिवकली पत्नी गोरेलाल निवासी चितरागोकुलपुर चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 585/16 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी थी। आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 13.08.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा भोली-भाली जनता में आर्थिक व भौतिक लाभ को लेकर भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त 1. सिराज सिद्दकी पुत्र असफाक सिद्दकी उम्र 26 वर्ष निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.छोटू सिंह उर्फ अमर सिंह पुत्र भोला सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी कोलगदहिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3.अनुसुइया प्रसाद पटेल पुत्र सुन्दरलाल उम्र 45 वर्ष 4.चन्द्रपाल कोटार्य पुत्र शिवप्रसाद उम्र 23 वर्ष 5.संजय कोटार्य पुत्र लोटन निवासीगण रजौला चकभूपत थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की कार्यवाही की गयी।

(6) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल

के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस टीम ने थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम पराकों में हुई चोरी के सामान को खरीदने वाली अभियुक्ता को चोरी के माल लगभग 12 ग्राम पिघला सोना के साथ गिरफ्तार किया।

➡ उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.06.2025 को अजय कुमार पाण्डेय पुत्र प्रयाग दत्त पाण्डेय निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर पर सूचना दी कि रात में वह अपने छत पर सोये हुए थे तथा सीढियों से बना दरवाजा खुला हुआ था रात में लगभग 12 से 02 बजे के बीच अज्ञात चोरो द्वारा उनकी अलमारी में रखे जेवरात व नगदी चोरी कर लिए । उनके के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,जिसमें एक चोर का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 135/25 धारा 331(4),305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना राजापुर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 18.06.2025 को घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.राघवेन्द्र कुशवाहा उर्फ प्रिन्स पुत्र धर्मदास कुशवाहा नि0 कस्बा सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा (म.प्र.) 2.शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार नि0 मन्कुवाँर थाना मऊ जिला चित्रकूट 3.विनोद कुशवाहा पुत्र स्व0 भोला प्रसाद कुशवाहा नि0 ग्रा0 देवरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना व दिनाँक 12.12.2025 को अभियुक्त सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र भानू प्रताप निवासी सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा म0प्र0 को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही/पूंछताछ में बताया गया कि चोरी का कुछ माल एक महिला को बेच दिया है अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर महिला आरक्षी ने महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला से पूंछताछ की गयी तो अपना नाम साधना सोनी पत्नी उमाशंकर सोनी निवासी जग्गू की गली शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट बताया। गिरफ्तार महिला द्वारा पूंछताछ में बताया गया कि करीब 7 महीने पहले मैने तीन अंगूठी पीली सोने की व एक लॉकेट सोने का व तीन-चार दाने सोने के मुझे बेचे थे उन सभी जेवरातो को मैने अपने घर में गला दिया था। जेवरातो का गला हुआ सोने का पीली धातु का टुकडा मेरे पास रखा है। महिला ने अपने घर के अन्दर से एक अदद पीली धातु का टुकडा निकालकर दिया जिसका वजन अभियुक्ता साधना के घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे में वजन किया गया तो लगभग 12 ग्राम पाया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह

2.आरक्षी राहुल यादव

3.आरक्षी लवकुश

4.आरक्षी विमलेश

5.महिला आरक्षी दीक्षा यादव